बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

वार्षिक इण्टरमीडिएट परीक्षा 2017 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना

बिहार में इण्टरमीडिएट परीक्षा 2017 का आयोजन 14 फरवरी 2017 से 25 फरवरी 2017 तक किया गया है। इस परीक्षा के स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त संचालन हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। परीक्षा संचालन के क्रम में किसी भी प्रकार के कदाचार के संबंध में Zero Tolerance के नीति के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जायेगी।

2. इस परीक्षा आयोजन के क्रम में यदि कोई भी पदाधिकारी, कर्मी, वीक्षक, केन्द्राधीक्षक, दंडाधिकारी, पुलिस कर्मी या अन्य कोई भी व्यक्ति परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार के गलत कार्य अथवा कदाचार को बढ़ावा देने से संबंधित किसी भी कार्य में लिप्त पाये जाते हैं तो उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज की जायेगी एवं सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में कार्रवाई की जायेगी।

3. यदि किसी परीक्षा केन्द्र पर कदाचार के दृष्टांत पाये जाते हैं तो वैसे परीक्षा केन्द्र की परीक्षा अविलंब रद्द कर दी जायेगी तथा इसके साथ–साथ उस परीक्षा केन्द्र को भी रद्द करने एवं भविष्य के लिए Black Listed करने की कार्रवाई की जायेगी। साथ ही इस संबंध में जिस किसी भी पदाधिकारी या कर्मी की लापरवाही/उदासीनता/संलिप्तता पायी जायेगी तो उनके विरूद्ध भी प्राथमिकी दर्ज कर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

4. सभी जिलों में परीक्षा केन्द्रों के आस–पास धारा–144 लगाये जाने के आलोक में परीक्षा केन्द्रों के आस–पास किसी भी वैसे सरकारी पदाधिकारी, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी या अन्य कोई व्यक्ति जिनका परीक्षा कार्य से संबंध नहीं है, (मीडिया कर्मी सहित) का प्रवेश वर्जित है। जिसका उल्लंघन करने पर ऐसे किसी भी सरकारी कर्मी/पदाधिकारी/ अन्य व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की जायेगी।

5. परीक्षा केन्द्रों पर सी0सी0 टी0 वी0 कैमरो एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। साथ ही परीक्षा केन्द्र के बाहरी भाग की भी वीडियोग्राफी कराई जायेगी। यदि कोई भी सरकारी या गैर सरकारी व्यक्ति कदाचार को बढ़ावा दिलाने के सहयोग में लिप्त पाये जाते हैं तो सी0सी0टी0वी0 कैमरा/वीडियोग्राफी से उनकी पहचान करते हुए उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं अन्य कठोर नियम संगत कार्रवाई की जायेगी।

6. इन्टरमीडिएट परीक्षा 2017 के सफल संचालन के लिए समिति कार्यालय में कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जिनका दूरभाष संख्या 0612–2227587/2227588/ 2229840/2232249 है जो 24 घंटे कार्यरत रहेगा, जिस पर किसी भी प्रकार की सूचना दी जा सकती है।

7. बिहार में वार्षिक इन्टरमीडिएट परीक्षा 2017 से संबंधित सभी परीक्षार्थियों, अभिभावाकों, सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों, वीक्षकों एवं सर्वसाधारण से यह अपील है कि परीक्षार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए कदाचारमुक्त एवं स्वच्छ परीक्षा के संचालन में अपना पूर्ण सहयोग दें।

ह0/–
(आनन्द किशोर)
अध्यक्ष
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

ह0/–
(आर0 के0 महाजन)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार सरकार